

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 16-12-16

विषय :- माँग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-101-सतही जल, उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101200545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड के अधीन दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल / 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 50P470200101200545	232.00
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ बत्तीस लाख मात्र।				

- आवंटित राशि वर्ष 2016-17 के उपबंध रु. 5300.00 लाख तिरपन करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363(वि.) दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

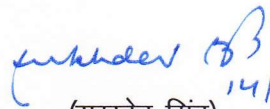
(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2017 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 175

राँची, दिनांक :- 16-12-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका/गढ़वा/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

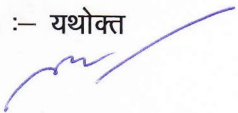

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 175

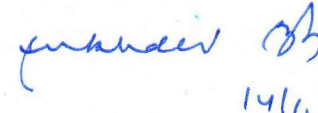
राँची, दिनांक :- 16-12-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साहू)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....

दिनांक 16-12-16

का अनुलनक परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -101-सतही जल

उप शीर्ष -20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड-50P470200101200545

बजट उपबंध (वर्ष 2016-17) ₹ 5300.00 लाख (तिरपन करोड़) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		मार्च 2016 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMR001)	गढ़वा	रंका	मानपुर मध्यम सिंचाई योजना	55/17.02.16	22.455	0.00	0.00	20.00	20.00	77371	
2	गढ़वा	गढ़वा	मंगराही आहार का जीर्णोद्धार	55/17.02.16	50.708	0.00	0.00	25.00	25.00			
योग												
					0.00	45.00	45.00					
1	लघु सिंचाई, गोडडा (GDDMR014)	लखीमपुर	पोडैयाहाट	तेली बांध का जीर्णोद्धार	55/17.02.16	65.820	0.00	54.00	11.00	65.00	77374	
2			गोडड़ा	हुल्तू मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	55/17.02.16	54.678	0.00	36.00	12.50	48.50		
3			पथरगामा	बिसाहा बड़का बांध का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	63.580						
4			मेहरमा	इटहरी टैंक का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	84.981						
5			महानगामा	काला डुमरिया पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	54.488						
6			महानगामा	मोहानी पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	65.661	0.00	333.00	85.00	418.00		
7			पोडैयाहाट	बोहरा पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	41.980						
8			पोडैयाहाट	सरैया पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	48.444						
9			पोडैयाहाट	रूपा पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	21.730						
10			पोडैयाहाट	भोलकी पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	81.583						
11			बसंतराय	भुताही पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	50.267						
12			बसंतराय	राहा पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	60.832						
13			गोडड़ा	पकड़िया पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	43.423	0.00	140.00	78.50	218.50		
14			गोडड़ा	किरिम पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	34.927						
15			ठाकुरगंगाटी	चन्दा पोखर का जीर्णोद्धार	67/18.03.16	48.886						
योग						563.00	187.00	750.00				
कुल योग						563.00	232.00	795.00				
अतिरिक्त आवंटित राशि — ₹ दो करोड़ बत्तीस लाख मात्र।												

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ बत्तीस लाख मात्र।

(ऑफर नाथ)

(मुक्ति संघम चौरसिन्ध)

उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव